भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2810

जिसका उत्तर 12.08.2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब गुणवत्ता एवं समयपूर्व क्षति

2810 श्री राजीव शुक्ला:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देशभर के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर समयपूर्व क्षति, गड्ढों, दरारों तथा निर्माण की खराब गुणवत्ता संबंधी प्राप्त रिपोर्टों पर गौर किया है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनमें गुणवत्ता निरीक्षण के दौरान खामियां पाई गई हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने ठेकेदारों/रियायतधारकों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की गई है जिसमें शास्तियां लागू करना, काली सूची में डालना अथवा क्षतिपूर्ति की वसूली शामिल है; और

(घ) सरकार द्वारा ठेकेदारों की जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता एवं टिकाऊपन में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर विभिन्न कारकों, जिनमें कार्यों की निम्न गुणवत्ता भी शामिल है, के कारण हुई प्रमुख कमियों, जैसे कि बड़े पैमाने पर ढहने, क्षति, गड्ढे, दरारें या संरचनात्मक विफलताओं से संबंधित परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण और ठेकेदारों/रियायतकर्ताओं/एई/आईई आदि के विरुद्ध की गई कार्रवाई, जिसमें जुर्माना लगाना, ब्लैकलिस्ट करना और क्षतिपूर्ति वसूलना आदि शामिल है, संलग्न है। कमियों/क्षति के मामले में दोषी एजेंसियों के विरुद्ध अनुबंध/रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई है, जैसे कि अनुबंध समाप्त करना, जुर्माना/निर्धारित क्षतिपूर्ति लगाना, प्रतिबंधित करना/ब्लैकलिस्ट करना, गैर-निष्पादक घोषित करना आदि।

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के विनिर्देशों और कोडों में निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। राजमार्ग निर्माण में निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, निर्माण एजेंसियों द्वारा साइट पर कार्यों की दैनिक निगरानी के लिए सलाहकारों (प्राधिकरण के अभियंता/स्वतंत्र अभियंता - एई/आईई) की नियुक्ति की जाती है। निर्माण एजेंसियों के अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रियायतग्राही/ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप हो। इसके अतिरिक्त, आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के स्वतंत्र गुणवत्ता लेखापरीक्षा के लिए तृतीय-पक्ष गुणवत्ता लेखा परीक्षकों को नियुक्त किया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और स्थायित्व में सुधार लाने और ठेकेदारों/रियायतकर्ताओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित प्रौद्योगिकी-आधारित निगरानी प्रणालियों और पहलों को लागू किया है: -

i. राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में स्वचालित एवं कौशल/मशीन-सहायता प्राप्त निर्माण (एआई-एमसी) को अपनाना;

ii. सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे कार्यों के लिए निर्माण कार्य पूरा होने के समय और उसके बाद हर छह महीने में नेटवर्क सर्वे व्हीकल (एनएसवी) के माध्यम से सड़क की स्थिति का आकलन अनिवार्य है, जिसकी निगरानी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाती है। सड़क की स्थिति के आकलन के लिए एनएसवी प्रणाली को संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) के दौरान संविदात्मक प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए समर्पित केंद्रीय सेल के माध्यम से विश्लेषण का उपयोग करके संशोधित किया गया है;

iii. राजमार्ग दोषों की निगरानी और सुधार के लिए एनएचएआई वन ऐप नामक एक केंद्रीकृत प्रणाली का संचालन, जो तस्वीरों के साथ दोषों की जियो-टैगिंग को सक्षम बनाता है;

iv. ड्रोन सर्वेक्षणों से एकत्रित उच्च-रिज़ॉल्यूशन छवियों का विश्लेषण ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम (डीएएमएस) में किया जाएगा, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ एकीकृत है, ताकि समय-समय पर चल रहे राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता का आवधिक मूल्यांकन किया जा सके;

v. परियोजना कार्यान्वयन चरणों के दौरान समय-समय पर कार्यों के समग्र स्वास्थ्य और गुणवत्ता के नैदानिक मूल्यांकन के लिए नामतः गुजरात, राजस्थान, ओडिशा और कर्नाटक चार राज्यों में गैर-विनाशकारी परीक्षण उपकरणों से सुसज्जित मोबाइल गुणवत्ता नियंत्रण वैन (एमक्यूसीवी) की प्रायोगिक आधार पर तैनाती।

अनुलग्नक

राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब गुणवत्ता एवं समयपूर्व क्षति के संबंध में श्री राजीव शुक्ला द्वारा दिनांक 12.08.2026 को पूछा गया राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2810 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई प्रमुख कमियों, जिनमें निम्न गुणवत्ता वाले कार्यों सहित विभिन्न कारकों के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन, क्षति, गड्ढे, दरारें या संरचनात्मक विफलताएं शामिल हैं, से संबंधित परियोजनाओं का विवरण, और ठेकेदारों/रियायतकर्ताओं/एई/आईई आदि के विरूध्द की गई कार्रवाई, जिसमें जुर्माना लगाना, ब्लैकलिस्ट करना और क्षतिपूर्ति की वसूली आदि शामिल हैं:

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	**राष्ट्रीय राजमार्गों पर बड़े पैमाने पर ढहने, क्षति, गड्ढे, दरार या संरचनात्मक विफलता सहित प्रमुख कमियों से जुड़ी परियोजनाएं**			
	वर्ष	**परियोजनाओं की संख्या**	**लगाया गया जुर्माना**	**अन्य दंडात्मक कार्रवाई**
अरुणाचल प्रदेश	2024	1	ठेकेदार पर अनुबंध मूल्य का 5% जुर्माना लगाया गया	
बिहार	2023	2	ठेकेदार पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया	ठेकेदार और एई/आईई के प्रमुख कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।
	2024	1		ठेकेदार के प्रमुख कर्मियों को निलंबित कर दिया गया
हरियाणा	2024	2	ठेकेदारों पर कुल 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया	ठेकेदार द्वारा किए गए सुधार कार्य का खर्च स्वयं वहन किया गया।
गुजरात	2025	1	ठेकेदार पर 2.80 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया	
कर्नाटक	2024	1		ठेकेदार को 1 महीने के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
	2025	1		किए गए सुधार कार्य का खर्च ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन किया गया।
केरल	2024	1		किए गए सुधार कार्य का खर्च ठेकेदार

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय राजमार्गों पर बड़े पैमाने पर ढहने, क्षति, गड्ढे, दरार या संरचनात्मक विफलता सहित प्रमुख कमियों से जुड़ी परियोजनाएं			
	वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	लगाया गया जुर्माना	अन्य दंडात्मक कार्रवाई
				द्वारा स्वयं वहन किया गया।
	2025	7	ठेकेदारों पर कुल 31.245 करोड़ रुपये और एई पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया	ठेकेदार और एई/आईई के प्रमुख कर्मियों को एक परियोजना में निलंबित किया गया। ठेकेदार और एई/आईई को 2 परियोजनाओं में प्रतिबंधित किया गया
मध्य प्रदेश	2025	2	ठेकेदार पर 119 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया	
महाराष्ट्र	2024	4	ठेकेदारों पर कुल 3.94 करोड़ का जुर्माना लगाया गया एई पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया	ठेकेदार और सहयोगी कंपनी के प्रमुख कर्मियों को 2 परियोजनाओं में निलंबित किया गया
	2026	2	ठेकेदार पर 75 लाख रुपये और एई पर 12.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।	
तमिलनाडु	2023	1		ठेकेदार द्वारा किए गए सुधार कार्य का खर्च स्वयं वहन किया गया।
	2025	1	ठेकेदार पर 18.05 लाख रुपये और एई पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।	
उत्तर प्रदेश	2026	5		एक परियोजना में ठेकेदार का अनुबंध समाप्त करना; ठेकेदार के परियोजना प्रबंधक और एई के टीम लीडर, 1 परियोजना के लिए; ठेकेदार के एई के टीएल और आरई तथा परियोजना प्रबंधक (रखरखाव) को एक परियोजना के लिए 2 साल के लिए

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय राजमार्गों पर बड़े पैमाने पर ढहने, क्षति, गड्ढे, दरार या संरचनात्मक विफलता सहित प्रमुख कमियों से जुड़ी परियोजनाएं			
	वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	लगाया गया जुर्माना	अन्य दंडात्मक कार्रवाई
				प्रतिबंधित कर दिया गया है।
उत्तराखंड	2023	1		किए गए सुधार कार्य का खर्च ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन किया गया।
पश्चिम बंगाल	2024	2	ठेकेदारों पर 4.19 करोड़ रुपये और एई/आईई पर 5 लाख रुपये का जुर्माना	
	2026	1		टोल सेवा निलंबित कर दी गई है, आईई और रियायतकर्ता के प्रमुख कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।
ओडिशा	2023	1	ठेकेदार पर 5.30 करोड़ रुपये और आईई पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।	डीपीआर सलाहकार पर 1 वर्ष का प्रतिबंध
असम	2024	1		ठेकेदार को 4 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।
मेघालय	2025	1	ठेकेदार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।	
